अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46 – DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue :**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	24015,06,00	24142,17,00	23266,72,90	-875,44,10
पूरक	Supplementary	127,11,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				419,24,31
पूंजीगतः	**Capital :**				
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	1221,01,00	1221,04,00	955,25,15	-265,78,85
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				216,80,74

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹87544.10 लाख) अगस्त, 2010, नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹12711.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹87544.10 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹12711.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”					
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services					
मू.	O.	4465.00				
				4658.00	4254.29	-403.71
पु.	R.	193.00				
मुख्य शीर्ष “2071”	Major Head “2071”					
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits					
मू.	O.	37787.00				
				64860.00	64549.33	-310.67
पु.	R.	27073.00				
मुख्य शीर्ष “2210”	Major Head “2210”					
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	734594.00				
पू.	S.	10005.00		792922.65	763665.38	- 29257.27
पु.	R.	48323.65				
मुख्य शीर्ष “2211”	Major Head “2211”					
परिवार कल्याण	Family Welfare					
मू.	O.	927827.00				
पू.	S.	2503.00		998834.20	986718.00	-12116.20
पु.	R.	68504.20				
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	210000.00				
पू.	S.	1.00		1.00	..	-1.00
पु.	R.	-210000.00				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को	Grants-in-aid to					
सहायता अनुदान	State Governments					
मू.	O.	475882.00				
पू.	S.	1.00		501742.84	498444.40	-3298.44
पु.	R.	25859.84				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"					
संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को	Grants-in-aid to Union					
सहायता अनुदान	Territory Governments					
मू.	O.	6351.00				
पू.	S.	1.00		4474.00	4314.83	-159.17
पु.	R.	-1878.00				
मुख्य शीर्ष "3606"	Major Head "3606"					
सहायता सामग्री और	Aid Materials and					
उपस्कर	Equipments					
मू.	O.	4500.00				
				4700.00	4626.87	-73.13
पू.	S.	200.00				

(I) ₹213082.00 लाख का प्रावधान साठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹212215.90 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹213082.00 lakhs remained wholly unutilised under sixty heads; of these ₹212215.90 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय - स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)" - ₹900.00 लाख स्कीम को कार्यान्वित न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2210" – "Public Health – Other Expenditure - Health Insurance (Urban Health Mission)" – ₹900.00 lakhs – due to non-implementation of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(B) Major Head "2211" –

(क) "प्रशिक्षण - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" - ₹136.00 लाख रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण थे।

(ख) "जन शिक्षा - अन्य प्रचार कार्यकलाप" - ₹133.00 लाख; और

(ग) "चुनिंदा क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - स्वायत्त/स्वैच्छिक संगठन/सोसाइटियों के माध्यम से परियोजनाएं" - ₹667.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) "अन्य व्यय - केंद्रीय अधिप्राप्ति अभिकरण" - ₹500.00 लाख मंत्रिमडल द्वारा स्कीम की अधिप्राप्ति को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552"

(क) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन"-

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" - ₹262.00 लाख;

(ii) "राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव"- ₹3750.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण - प्रशिक्षण" -

(i) "एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण"- ₹868.00 लाख;

(ii) "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र"- ₹193.00 लाख;

(iii) "एमपीडब्ल्यू (पुरुष) प्रशिक्षण" - ₹124.00 लाख।

(ग) "परिवार कल्याण - अनुसंधान एवं मूल्यांकन-जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान"- ₹150.00 लाख।

(a) "Training – Expenditure in UTs without Legislature" – ₹136.00 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Mass Education – Other Publicity Activities" – ₹133.00 lakhs; and

(c) "Selected Area Programmes (Including India Population Project) - Projects through Autonomous/Voluntary Organisations/ Societies"- ₹667.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(d) "Other Expenditure- Central Procurement Agency"- ₹ 500.00 lakhs – due to non-procurement of approval of the scheme by the Cabinet.

(C) Major Head "2552" –

(a) "FW – Direction and Administration"–

(i) "Regional Health Offices" – ₹262.00 lakhs;

(ii) "Maintenance of State/Distt. FW Bureau" – ₹3750.00 lakhs;

(b) "FW – Training" –

(i) "Training of ANM/LHVs" – ₹868.00 lakhs;

(ii) "Health and FW Training Centres" – ₹193.00 lakhs;

(iii) "Training of MPWs (Male)"-₹124.00 lakhs.

(c) "FW - Research and Evaluation-Demographic and other Communication Research"- ₹150.00 lakhs.

(घ) “परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-उप केंद्र” - ₹31450.00 लाख;

(ङ) “परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केन्द्र’’- ₹1000.00 लाख;

(च) “परिवार कल्याण - जन शिक्षा” -

(i) “सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच”- ₹1857.90 लाख;

(ii) “पीएनडीटी अधिनियम के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार” - ₹110.00 लाख;

(iii) “सूचना, शिक्षा और संचार - गैर आरसीएच”- ₹220.00 लाख;

(छ) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य”-

(i) “राज्य पी आई पी के लिए आर सी एच लचीला पूल” - ₹45350.00 लाख;

(ii) “पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)” - ₹3000.00 लाख;

(iii) “नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की पूर्ति” - ₹3300.00 लाख;

(iv) “पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की पूर्ति” - ₹2000.00 लाख;

(v) “वैक्सीन आदि को छोड़कर औषधियों और उपस्करों की पूर्ति” - ₹2000.00 लाख;

(ज) “परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं एवं पूर्तियां” -

(i) “राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार कल्याण सामग्री की नि:शुल्क पूर्ति” - ₹550.00 लाख;

(d) “FW – Rural Family Welfare Services–Sub-Centres” – ₹31450.00 lakhs;

(e) “FW – Urban Family Welfare Services – Urban Family Welfare Centres” – ₹1000.00 lakhs;

(f) “FW – Mass Education” –

(i) “Information, Education and Communication – RCH” – ₹1857.90 lakhs;

(ii) “Information, Education and Communication on PNDT Act.”- ₹110.00 lakhs;

(iii) “Information, Education and Communication – Non-RCH” – ₹220.00 lakhs;

(g) “FW – Reproductive and Child Health” –

(i) “RCH Flexible Pool for State PIPs”– ₹45350.00 lakhs;

(ii) “Pulse Polio Immunisation Programme (Operating Cost)” – ₹3000.00 lakhs;

(iii) “Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme” – ₹3300.00 lakhs;

(iv) “Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme” – ₹2000.00 lakhs;

(v) “Supply of Drugs and Equipments Other than Vaccines etc.” – ₹2000.00 lakhs;

(h) “FW – Other Services and Supplies” -

(i) “Free Supply of FP Material to States/ UTs” – ₹550.00 lakhs;

(ii) "गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" - ₹550.00 लाख;

(झ) "परिवार कल्याण - अन्य व्यय - मिशन लचीला पूल" - ₹48130.00 लाख;

(ञ) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना" - ₹800.00 लाख;

(ट) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी"-

(i) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग"- ₹6786.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2500.00 लाख;

(iii) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" - ₹8050.00 लाख;

(iv) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" - ₹4140.00 लाख;

(v) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, आईजोल" -₹1950.00 लाख;

(ठ) "लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - परिचर्चा सेवाओं का विकास"-₹400.00 लाख;

(ड) "लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण"-

(i) "राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹450.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2000.00 लाख;

(ii) "Social Marketing of Contraceptives"– ₹550.00 lakhs;

(i) "FW – Other Expenditure - Mission Flexible Pool" – ₹48130.00 lakhs;

(j) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries and Hospitals" – ₹800.00 lakhs;

(k) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" -

(i) "North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" – ₹6786.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "National Cancer Control Programme"– ₹2500.00 lakhs;

(iii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – ₹8050.00 lakhs;

(iv) "Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" – ₹4140.00 lakhs;

(v) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal"– ₹1950.00 lakhs;

(l) "Public Health – Training – Development of Nursing Services" – ₹400.00 lakhs;

(m) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(i) "National Leprosy Control Programme"– ₹450.00 lakhs;

(ii) "National T.B. Control Programme" – ₹2000.00 lakhs;

(iii) "राष्ट्रीय अंधता और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2600.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹17375.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹300.00 लाख; और

(vi) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - ₹1700.00 लाख;

उपर्युक्त बत्तीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vii) "राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम"- ₹6363.00 लाख; और

(ढ) "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय" -

(i) "राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम" - ₹600.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में कम अवशोषण क्षमता और कम अवसंरचना होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "अभिघात केंद्रों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता"- ₹1500.00 लाख;

(iii) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन"- ₹400.00 लाख;

(iv) "तंबाकू मुक्ति संबंधी पहल" - ₹600.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और हृदयघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम"- ₹1000.00 लाख;

(iii) "National Blindness and Trachoma Control Programme" – ₹2600.00 lakhs;

(iv) "National AIDS Control Programme" – ₹17375.00 lakhs;

(v) "National IDD Control Programme" – ₹300.00 lakhs; and

(vi) "National Mental Health Programme" – ₹1700.00 lakhs.

Provisions under the above thirty two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vii) "National Vector Borne Disease Control Programme" – ₹6363.00 lakhs; and

(n) "Public Health – Other Expenditure"-

(i) "National Integrated Diseases Surveillance Programme" – ₹600.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to low absorbing capacity and less infrastructure in North Eastern States.

(ii) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – ₹1500.00 lakhs;

(iii) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" – ₹400.00 lakhs;

(iv) "Tobacco Free Initiatives" – ₹600.00 lakhs;

(v) "National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Cardiovascular Disease and stroke" – ₹1000.00 lakhs;

(vi) "जिला अस्पताल" - ₹2500.00 लाख; और

(vii) "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन" - ₹2800.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)" - ₹201.00 लाख अधिप्राप्ति का विकेंद्रीकरण किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹38883.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10002.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹48885.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹11535.43 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) टिकाऊ कीटनाशक जाल की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" - "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - औषधियों और उपस्करों (वैक्सीन आदि को छोड़कर) की अधिप्राप्ति" - ₹20000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹22500.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹4730.36 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) सैनीटरी नैपकीन की अधिप्राप्ति संबंधी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3606" - "विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता - राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम को सामग्री सहायता" के अंतर्गत ₹500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख

(vi) "District Hospitals" – ₹2500.00 lakhs; and

(vii) "Human Resources for Health" – ₹2800.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Vector Borne Disease Control Programme (Urban)" – ₹201.00 lakhs – due to decentralization of procurement.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head " 2210" – "Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Vector Borne Disease Control Programme" – the original provision of ₹38883.00 lakhs was augmented to ₹48885.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10002.00 lakhs. However, there was a saving of ₹11535.43 lakhs (including supplementary grant) – due to non-finalisation of the procurement of Long Lasting Insecticidal Net.

(B) Major Head "2211" – "Reproductive and Child Health – Procurement of Drugs and Equipments (Other than Vaccines etc.)"- the original provision of ₹20000.00 lakhs was augmented to ₹22500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹4730.36 lakhs (including supplementary grant) – due to non-approval of the scheme for procurement of sanitary napkins.

(III) Under Major Head "3606" – "Assistance from World Health Organisation – Material Assistance for National Leprosy Control

का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹700.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो राज्यों से कम मांग होने के कारण ₹73.13 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Programme" - the original provision of ₹500.00 lakhs was augmented to ₹700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹73.13 lakhs - due to receipt of less demand from the States.

(IV) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत ₹197.80 लाख की बचत (₹4445.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य स्रोतों से कम कर्मचारियों को लिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Health and Family Welfare"– saving of ₹197.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4445.00 lakhs) was due to outsourcing of less manpower.

(V) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head – "2210" – savings occurred under the following heads: -

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(A) "Urban Health Services – Allopathy" –

(क) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय"- ₹549.59 लाख की बचत (₹2112.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशों से चिकित्सा पत्रिकाएं/ पुस्तकें पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration – National Medical Library" – saving of ₹549.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2112.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of medical journals/ books from abroad.

(ख) "चिकित्सा भंडार संगठन - डिपो" - ₹272.42 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(b) "Medical Stores Organization - Depots" – saving of ₹272.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ग) "अन्य व्यय - निगरानी समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर खर्च होने वाला व्यय" - ₹4857.50 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण और सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(c) "Other Expenditure – Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee" – saving of ₹4857.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards training and services by the institutions of higher learning.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी"-

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(क) "कैंसर अनुसंधान" - ₹12009.06 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹16406.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(a) "Cancer Research" - saving of ₹12009.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16406.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh)

अनुदानग्राही निकायों को निधीयन की पद्धति में बदलाव किए जाने के कारण हुई।

was due to change in funding pattern to grantee bodies.

(ख) "क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी"- ₹1847.00 लाख की बचत (₹25200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों का सृजन न किए जाने, मरम्मत और रख-रखाव, किताबों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(b) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry"- saving of ₹1847.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25200.00 lakhs) was due to non-creation of posts, requirement of less funds towards repair and maintenance, purchase of books and journals and less tours undertaken.

(ग) "डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली" - ₹630.03 लाख की बचत (₹1101.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए पदों के न भरे जाने के कारण हुई ।

(c) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" – saving of ₹630.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1101.00 lakhs) was due to non-filling up of new posts.

(घ) "एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल-व-शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन" - ₹2846.22 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी गति होने के कारण हुई।

(d) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" - saving of ₹2846.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme.

(गा) "लोक स्वास्थ्य" -

(C) "Public Health" –

(क) "निदेशन और प्रशासन - विमानपत्तन संगठन सहित स्वास्थ्योत्तर स्थापना" - ₹400.76 लाख की बचत (₹1923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किराए में कमी होने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration – Post Health Establishment including Airport Organization" - saving of ₹400.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1923.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and decrease in rent.

(ख) "बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण" -

(b) "Prevention and Control of Diseases"–

(i) "राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली" - ₹773.86 लाख की बचत (₹4048.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रकाशन के लिए कम

(i) "National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Diseases Control), Delhi" - saving of ₹773.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4048.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement

निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम" - ₹1746.44 लाख की बचत (₹3770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और अधिप्राप्ति के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹3189.78 लाख की बचत (₹23400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) "राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹559.43 लाख की बचत (₹3632.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और उनके पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(v) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹6029.65 लाख की बचत (₹154025.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और परिवार नियोजन सामग्री और पूर्ति की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(vi) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - ₹1224.37 लाख की बचत (₹10300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और मीडिया अभियान की विलंब से शुरुआत होने के कारण हुई।

(ग) "खाद्य अपमिश्रण रोकथाम - खाद्य अपमिश्रण का प्रशासन और रोकथाम" - ₹197.30 लाख की बचत (₹230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद्य अपमिश्रण

of less funds towards publication and economy measures.

(ii) "Iodine Deficiency Disorders Control Programme" – saving of ₹1746.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3770.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies and receipt of less procurement proposals.

(iii) "Trachoma and Blindness Control Programme" - saving of ₹3189.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23400.00 lakhs); and

(iv) "National Leprosy Control Programme"- saving ₹559.43 lakhs (against sanctioned provision of ₹3632.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing agencies and availability of unspent balances with them.

(v) "National AIDS Control Programme" - saving of ₹6029.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹154025.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State AIDS Control Societies and procurement of less family planning material and supplies.

(vi) "National Mental Health Programme"- saving of ₹1224.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10300.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals from State implementing agencies, non-receipt of utilisation certificates and late start of media campaign.

(c) "Prevention of Food Adulteration – Administration and Prevention of Food Adulteration" - saving of ₹197.30 lakhs (against the sanctioned provision of

रोकथाम प्रभाग का विलय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के साथ किए जाने के कारण हुई।

(घ) "औषध नियंत्रण - भारतीय भेषज संग्रही आयोग" - ₹900.00 लाख की बचत (₹2275.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन निर्माण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ङ) "सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण" -

(i) "बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई" - ₹724.61 लाख की बचत (₹1725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और भंडार और मशीनरी उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय पैश्च्योर संस्थान, कुन्नूर को अनुदान"- ₹327.00 लाख की बचत (₹1627.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(च) "लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं"-

(i) "केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" - ₹1510.10 लाख की बचत (₹4012.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवीकरण/मरम्मत कार्य का निष्पादन विलंब से किए जाने के कारण हुईं।

(ii) "सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता" - ₹127.98 लाख की बचत (₹471.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

₹230.00 lakhs) was due to merger of Prevention and Food Adulteration Division with Food Safety Authority.

(d) "Drugs Control - Indian Pharmacopoeia Commission" - saving of ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2275.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of building and procurement of equipment owing to procedural delays

(e) "Manufacture of Sera/Vaccine" –

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹724.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1725.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards procurement of supplies and machinery equipments.

(ii) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - saving of ₹327.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1627.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards acquiring capital assets.

(f) "Public Health Laboratories" –

(i) "Central Research Institute, Kasauli" – saving of ₹1510.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4012.00 lakhs) was due to late execution of renovation/ repair works.

(ii) "Institute of Serology, Kolkata" - saving of ₹127.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 471.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(iii) "राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान, नोएडा (उ.प्र.)"- ₹365.00 लाख की बचत (₹1725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिसम्पतियों का कम अधिग्रहण किए जाने के कारण हुई।

(छ) "लोक स्वास्थ्य शिक्षा - अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान,कोलकाता" - ₹786.25 लाख की बचत (₹2429.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और भंडार की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(ज) "अन्य व्यय" -

(i) "स्वास्थ्य आपदा तैयारी और प्रबंधन सेक्टर"- ₹3438.93 लाख की बचत (₹3440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपदा तैयारी और प्रबंधन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "लाला रामस्वरूप क्षय एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान" - ₹640.85 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और भंड़ारों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(iii) "तंबाकू मुक्ति संबंधी पहल" - ₹971.62 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों में तंबाकू विरोधी स्पाट के प्रसारण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iv) "हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति" - ₹290.45 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीन की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(v) "केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल" - ₹5987.54 लाख की बचत (₹22695.00 लाख के स्वीकृत

(iii) "National Institute of Biological, Noida (U.P.)" – saving of ₹365.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1725.00 lakhs) was due to less acquisition of assets.

(g) "Public Health Education – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata" - saving of ₹786.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2429.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less procurement of supplies.

(h) "Other Expenditure" –

(i) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" – saving of ₹3438.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3440.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Disaster Preparedness and Management.

(ii) "Grants to Lala Ram Sarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi" - saving of ₹640.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the institute and less procurement of supplies.

(iii) "Tobacco Free Initiatives" – saving of ₹971.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards telecast of Anti-Tobacco Spot in Regional Centres on Doordarshan.

(iv) "Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims" - saving of ₹290.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of vaccine.

(v) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of ₹5987.54 lakhs

प्रावधान की तुलना में) नई पहलों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(vi) "अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता" - ₹1491.00 लाख की बचत (₹9900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(vii) "आपातकालीन चिकित्सा राहत (एवियन फ्लू)"- ₹2635.21 लाख की बचत (₹6160.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य" -

(क) "स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" - ₹236.53 लाख की बचत (₹363.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और प्रशिक्षण कार्यशाला और संगोष्ठियों के लिए कर्मचारियों को बाह्य स्रोत से लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अंशदान" - ₹264.37 लाख की बचत (₹1419.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(क) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" - ₹275.86 लाख की बचत (₹840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(against the sanctioned provision of ₹22695.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of New Initiatives.

(vi) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - saving of ₹1491.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9900.00 lakhs) was due to slow pace of implementation of the scheme.

(vi) Emergency Medical Relief (Avian Flu) - saving of ₹2635.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6160.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of supplies and equipments.

(D) "General" –

(a) "Health Statistics and Evaluation – Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" - saving of ₹236.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹363.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards outsourcing of man power for training, workshop and seminars.

(b) "International Co-operation - Contribution to WHO and Other International Agencies" – saving of ₹264.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1419.00 lakhs) was due to variation in foreign exchange rates.

(VI) Under Major Head "2211" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" -

(a) "Exp in Union Territories without Legislature" – saving of ₹275.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹840.00 lakhs);

(ख) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" - ₹663.18 लाख की बचत (₹2613.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हुई; और

(खा) "प्रशिक्षण" -

(क) "परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुम्बई"- ₹125.36 लाख की बचत (₹343.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

(ख) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली" - ₹198.65 लाख की बचत (₹3570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "गांधी ग्राम संस्थान" - ₹128.08 लाख की बचत (₹185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "पुरुष भागीदारी" - ₹347.49 लाख की बचत (₹392.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(ङ) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई"- ₹1100.00 लाख की बचत (₹2990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन निर्माण के कार्य को निष्पादित करने के लिए अभिकरण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "जन शिक्षा" -

(क) "मुख्यालय में कार्यकलाप" - ₹462.99 लाख की बचत (₹2249.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों को बाह्य स्रोत से लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Regional Health Offices" – saving of ₹663.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2613.00 lakhs); and

(B) "Training" –

(a) "Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" - saving of ₹125.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹343.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts.

(b) "National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi" – saving of ₹198.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3570.00 lakhs);

(c) "Gandhi Gram Institute" - saving of ₹128.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185.00 lakhs); and

(d) "Male Participation" - saving of ₹347.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹392.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(e) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" – saving of ₹1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2990.00 lakhs) was due to non-finalisation of agency for carrying out construction of building works.

(C) "Mass Education" –

(a) "Activities at Headquarters" - saving of ₹462.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2249.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards outsourcing of manpower.

(ख) "जन डाक स्कीम" - ₹211.36 लाख की बचत (₹621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दौरे कम संख्या में किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सूचना, शिक्षा और संचार - किशोर स्वास्थ्य (आरसीएच)" - ₹134.48 लाख की बचत (₹165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम कार्यान्वयन संबंधी योजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(घ) "पीएनडीटी अधिनियम के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार" - ₹343.86 लाख की बचत (₹990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकों/सम्मेलनों और अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों के माध्यम से व्यय" - ₹712.65 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों को बाह्य स्रोत से लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घा) "चुनिंदा क्षेत्र कार्यक्रम (भारतीय जनसंख्या परियोजना सहित)" -

(क) "अमेरिका सहायता प्राप्त परियोजना - एसआईएफपीएसए, उ. प्र., लखनऊ" - ₹2185.55 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन अभिकरण द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(क) "आरसीएच में अनुसंधान और अध्ययन कार्यकलाप" - ₹129.07 लाख की बचत (₹220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) "Mass Mailing Scheme" - saving of ₹211.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹621.00 lakhs) was due to less number of tour undertaken.

(c) "Information, Education and Communication – Adolescent Health (RCH)" - saving of ₹134.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹165.00 lakhs) was due to delay in finalization of plan for programme implementation.

(d) Information Education and communication on PNDT Act"– saving of ₹343.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹990.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards meetings/conferences and other establishment related expenses.

(e) "Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting"- saving of ₹712.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards outsourcing of manpower.

(D) "Selected Area Programmes (including India Population Project)" –

(a) "USAID assisted Project-SIFPSA, U.P., Lucknow" - saving of ₹2185.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-achievement of benchmarks prescribed by the funding agency.

(E) "Reproductive and Child Health" -

(a) "Research and Study activities in RCH" - saving of ₹129.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(ख) "मुख्यालय पर व्यय" - ₹237.82 लाख की बचत (₹622.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों की वजह से स्थापना संबंधी खर्च कम होने के कारण हुई।

(b) "Expenditure at Headquarters" - saving of ₹237.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹622.00 lakhs) was due to less establishment related expenditure owing to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ग) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹6717.97 लाख की बचत (₹44978.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा पेंटावलेंट वैक्सीन स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और पुन: निविदा किए जाने के कारण कोल्ड चेन उपस्करों और नेमी वैक्सीन की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(c) "Routine Immunisation Programme" - saving of ₹6717.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44978.00 lakhs) was due to non-approval of the Pentavalent vaccine scheme by the Government and less procurement of Cold Chain Equipments and Routine Vaccine on account of retendering.

(घ) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹4649.62 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹103709.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस/उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कम संख्या में होने की वजह से पल्स पोलियो कार्यक्रम की प्रचालन लागत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(d) "Pulse Polio Immunisation Programme"- saving of ₹ 4649.62 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹103709.00 lakhs including token supplementary grant of ₹ 1.00 lakh) was due to requirement of less funds towards operating cost of Pulse Polio programme owing to less number of National Immunization Days/Sub-National Immunization Days.

(ङ) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को वैक्सीन आदि की पूर्ति पर व्यय" - ₹385.99 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(e) "Expenditure on Supply of Vaccines etc. in UTs without legislature" - saving of ₹385.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement by Union Territory Governments.

(चा) "अन्य सेवाएं और पूर्तियां" - "गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" - ₹836.90 लाख की बचत (₹3450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवार कल्याण सामग्री की अधिप्राप्ति और विज्ञापन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(F) "Other Services and Supplies - Social Marketing of Contraceptives" - saving of ₹836.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3450.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of Family Planning material and advertisement and availability of unspent balance with the implementing agencies.

(छा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान"- ₹118.91 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(G) "International Co-operation - Contribution to International Organisation" - saving of ₹118.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from International Organisation.

(जा) "अन्य व्यय" -

(क) "राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग" - ₹334.26 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम प्रचार के कारण हुई।

(ख) "प्रबंधन सूचना प्रणाली" - ₹2747.06 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराए जाने की धीमी प्रगति होने की वजह से भारत के महापंजीयक को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य"-

(i) "आरसीएच औषधियों और उपस्करों की पूर्ति"- ₹10396.68 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹17601.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को पूर्तियों की कम लागत का समायोजन किए जाने और सैनीटरी नैपकीनों की अधिप्राप्ति संबंधी स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹836.27 लाख की बचत (₹39600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹9142.87 लाख की बचत (₹54351.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों को की गई पूर्ति की कम लागत का समायोजन किए जाने के कारण हुईं।

(H) "Other Expenditure"-

(a) "National Commission on Population" - saving of ₹334.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals from States and less publicity.

(b) "Management Information System" - saving of ₹2747.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to requirement of less funds from Registrar General of India owing to slow progress in conducting of Annual Health Survey.

(VII) Under Major Head – "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -savings occurred under the following heads:-

(a) "Family Welfare – Reproductive and Child Health "–

(i) "Supply of RCH Drugs and Equipments"- saving of ₹10396.68 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17601.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to less cost adjustment of supplies made to States and non-approval of scheme for procurement of Sanitary Napkins.

(ii) "Routine Immunisation Programme" - saving of ₹836.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39600.00 lakhs); and

(iii) "Pulse Polio Immunisation Programme" - saving of ₹9142.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54351.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less cost adjustment of supplies made to states.

(ख) "लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण- राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी)" - ₹1870.34 लाख की बचत (₹9728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Public Health – Prevention and Control of Diseases - National Vector Borne Diseases Control Programme (Rural) (E.A.C.)" – saving of ₹1870.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9728.00 lakhs); and

(VIII) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VIII) Under Major Head – "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केन्द्र" - ₹101.20 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services - Urban FW Centres" – saving of ₹101.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with the State/Union Territory Governments.

(खा) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(B) "Family Welfare – Reproductive and Child Health" –

(क) "आरसीएच औषधियों और उपस्करों की पूर्ति" - ₹219.81 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹301.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Supply of RCH Drugs and Equipments"- saving of ₹219.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹301.00 lakhs including token supplementary grant of ₹ 1.00 lakh);

(ख) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹1230.42 लाख की बचत (₹1622.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Routine Immunisation Programme" - saving of ₹1230.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1622.00 lakhs); and

(ग) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹164.96 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Pulse Polio Immunisation Programme" – saving of ₹164.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को की गई आपूर्तियों की कम लागत का समायोजन किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to less cost adjustment of supplies made to Union Territory Governments.

(IX) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹879.09 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

(IX) Under eleven heads savings of ₹879.09 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹209756.52 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹12509.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - सीजीएचएस पेंशनरों का चिकित्सीय उपचार - केन्द्रीय सरकार पेंशनर" - ₹27073.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹26762.33 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(i) "केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/ अस्पतालों की स्थापना करना" - ₹15595.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12580.23 लाख था।

(ii) "अस्पताल और औषधालय" -

(1) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली"- ₹4961.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4930.27 लाख था।

(2) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली- ₹1890.76 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1788.00 लाख था।

(3) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹870.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹704.74 लाख था।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी"-

(i) "वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान" - ₹572.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹571.00 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹209756.52 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹12509.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2071"- "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners – Central Govt. Pensioners" – ₹27073.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹26762.33 lakhs.

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy"–

(i) "Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/ Hospitals"– ₹15595.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12580.23 lakhs.

(ii) "Hospitals and Dispensaries" –

(1) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – ₹4961.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4930.27 lakhs.

(2) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" – ₹1890.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹1780.00 lakhs.

(3) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi"- ₹ 870.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹704.74 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(i) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi" – ₹572.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹571.00 lakhs.

(ii) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹572.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹227.17 लाख था।

(iii) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली"- ₹18500.00 लाख ।

(iv) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान" - ₹1918.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1917.00 लाख था।

(v) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" - ₹8700.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8600.00 लाख था।

(vi) "कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा को सेवाग्राम में मेडिकल कालेज के लिए अनुदान" - ₹573.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹572.50 लाख था।

(vii) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान" - ₹10285.00 लाख ।

(viii) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" - ₹13050.00 लाख।

(ix) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" - ₹2070.00 लाख।

(x) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, ऐजवाल"- ₹2950.00 लाख।

(ग) "लोक स्वास्थ्य" -

(i) "प्रशिक्षण - नर्सिंग सेवाओं का विकास" - ₹889.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹846.98 लाख था।

(ii) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi" – ₹572.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹227.17 lakhs.

(iii) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - ₹18500.00 lakhs.

(iv) "Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore" – ₹1918.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1917.00 lakhs.

(v) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" – ₹8700.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8600.00 lakhs.

(vi) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" – ₹573.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹572.50 lakhs.

(vii) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong"– ₹10285.00 lakhs.

(viii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – ₹13050.00 lakhs.

(ix) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" – ₹2070.00 lakhs.

(x) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal"– ₹2950.00 lakhs.

(c) "Public Health"-

(i) "Training" – Development of Nursing Services" – ₹889.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹846.98 lakhs.

(ii) “खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण” - ₹2000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1972.00 लाख था।

(iii) “औषध नियंत्रण - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन” - ₹501.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹228.06 लाख था।

(iv) “अन्य व्यय - एकीकृत रोग निगरानी परियोजना” - ₹2056.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1998.32 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष “2211” -

(क) “प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - राज्य पीआईसी के लिए आरसीएच लचीला पूल” - ₹22906.47 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22563.66 लाख था।

(ख) “अन्य सेवाएं और पूर्तियां - परिवार कल्याण सामग्री की नि:शुल्क पूर्ति” - ₹1668.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹692.02 लाख था।

(ग) “अन्य व्यय” -

(i) “राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय” - ₹2527.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2526.47 लाख था।

(ii) “मिशन लचीला पूल” - ₹60116.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹59807.92 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण” -

(क) “राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)” - ₹5587.54 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5141.45 लाख था।

(ii) “Prevention of Food Adulteration – Food Safety and Standards Authority of India” – ₹2000.00 lakhs Actual excess, however, was ₹1972.00 lakhs.

(iii) “Drugs Control – Central Drugs Standards Control Organisation” – ₹501.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹228.06 lakhs.

(iv) “Other Expenditure - Integrated Disease Surveillance Project”- ₹2056.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1998.32 lakhs.

(C) Major Head “2211” –

(a) “Reproductive and Child Health - RCH Flaxible Pool for States PIPs”- ₹22906.47 lakhs. Actual excess, however, was ₹22563.66 lakhs.

(b) “Other Services and Supplies – Free Supply of FP Material” – ₹1668.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹692.02 lakhs.

(c) “Other Expenditure” –

(i) “Measures under National Population Policy”- ₹2527.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2526.47 lakhs.

(ii) “Mission Flexible Pool” – ₹60116.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹59807.92 lakhs.

(D) “Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases”-

(a) “National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)” – ₹5587.54 lakhs. Actual excess, however, was ₹5141.45 lakhs.

(ख) "काला-अजार नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹1924.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1703.37 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "लोक स्वास्थ्य" -

(क) "बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹1851.63 लाख का अधिक व्यय (₹37600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "अन्य व्यय" -

(i) "जिला अस्पताल" - ₹2500.00 लाख का अधिक व्यय (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन" - ₹1560.00 लाख का अधिक व्यय (₹23700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पताल में भर्ती होने पर वित्तीय सहायता के लिए गरीबों से आवेदन की संख्या में वृद्धि होने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(क) "अनुसंधान और मूल्यांकन - जनसांख्यिकी और अन्य संचार अनुसंधान" - ₹168.66 लाख (₹1270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थे; और

(b) "Kala-Azar Control Programme" – ₹1924.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1703.37 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" – "Public Health" –

(a) "Prevention and Control of Diseases – National T.B. Control Programme" - excess of ₹1851.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37600.00 lakhs);

(b) "Other Expenditure" –

(i) "District Hospitals" – excess of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs); and

(ii) "Human Resources for Health" – excess of ₹1560.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23700.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) "Rashtriya Arogya Nidhi" – excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in number of request from the poor for financial assistance on hospitalization.

(B) Major Head "2211" –

(a) "Research and Evaluation - Demographic and Other Communication Research"– excess of ₹168.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1270.00 lakhs); and

(ख) "जन शिक्षा - सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना" - ₹351.73 लाख का अधिक व्यय (₹9256.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से अतिरिक्त मांगों के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्र" - ₹328.46 लाख का अधिक व्यय (₹8210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "परिवार कल्याण - प्रशिक्षण" -

(i) "एएनएम/एलएचवीएस को प्रशिक्षण" - ₹661.11 लाख का अधिक व्यय (₹7536.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र" - ₹104.16 लाख का अधिक व्यय (₹1642.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iii) "एमपीडब्ल्यू का प्रशिक्षण" - ₹109.76 लाख का अधिक व्यय (₹1088.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरों का रख-रखाव" - ₹3308.59 लाख का अधिक व्यय (₹32180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Mass Education - Information, Education and Communication – RCH Project"– excess of ₹351.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9256.50 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and additional demands from the State Governments.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services - Urban FW Centres" – excess of ₹328.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8210.00 lakhs);

(b) "Family Welfare – Training"-

(i) "Training of ANM/LHVS"- excess of ₹661.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7536.00 lakhs);

(ii) "Health and F.W. Training Centre" – excess of ₹104.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1642.00 lakhs); and

(iii) "Training of MPWs" – excess of ₹109.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1088.00 lakhs); and

(c) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/ Distt. FW Bureaux" - excess of ₹3308.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32180.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घ) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और सामान - परिवार नियोजन सामग्री की नि:शुल्क पूर्ति" - ₹700.13 लाख का अधिक व्यय (₹4720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और परिवार नियोजन सामग्री की कीमत में हुई वृद्धि को पूरा करने के कारण हुआ।

(d) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of FP Material"– excess of ₹700.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4720.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet increase in prices of Family Planning Material.

(ङ) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप केंद्र" - ₹32639.80 लाख का अधिक व्यय (₹278260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने संबंधी बकायों का परिसमापन करने के लिए राज्यों से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(e) "Family Welfare – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" – excess of ₹32639.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹278260.00 lakhs) was due to requirement of additional funds from States for liquidating arrears towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(च) "लोक स्वास्थ्य - बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य रूप से सहायता प्राप्त संघटक)" - ₹176.86 लाख का अधिक व्यय (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(f) "Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Leprosy Control Programme (Externally Aided Component)" – excess of ₹176.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet additional requirement by Union Territory Governments.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹62.58 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹62.58 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	108890.00			
पू.	S.	2.00	91821.60	87654.04	-4167.56
पु.	R.	-17070.40			
मुख्य शीर्ष "4211" परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4211" Capital Outlay on Family Welfare				
मू.	O.	451.00			
			250.00	..	-250.00
पु.	R.	-201.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	12760.00			
पू.	S.	1.00	8351.66	7871.11	-480.55
पु.	R.	-4409.34			

(I) ₹6371.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹5999.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹6371.00 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these ₹5999.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" - "लोक स्वास्थ्य - अन्य कार्यक्रम"-

(A) Major Head "4210" – "Public Health – Other Programmes" -

(क) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" - ₹1249.00 लाख;

(a) "National Centre for Disease Control"– ₹1249.00 lakhs;

(ख) “राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम” - ₹2500.00 लाख; और

(ग) “राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम” - ₹800.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निर्माण कार्यों के मूर्त रूप न लेने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) “रक्त एवं रक्त उत्पादों संबंधी कार्यक्रम” - ₹1000.00 लाख कार्य के मूर्त रूप न लेने और मशीनरी और मोटर वाहन की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “4211” - “अन्य व्यय - परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंबई” - ₹450.00 लाख पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “4210” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं” -

(क) “केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना” - ₹1739.56 लाख की बचत (₹2765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य निष्पादित न किए जाने और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अस्पताल और औषधालय” -

(i) “कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹263.65 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों और मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) “National AIDS Control Programme” – ₹2500.00 lakhs; and

(c) “National Organ Transplant Programme”- ₹800.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-materialisation of works.

(d) “Programme for Blood & Blood Products”– ₹1000.00 lakhs – due to non-materialisation of works and non-procurement of machinery and motor vehicle.

(B) Major Head “4211” – “Other Expenditure – Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai” – ₹450.00 lakhs – due to slow progress of capital works.

(II) Under Major Head “4210” – savings occurred under the following heads: -

(A) “Urban Health Services” –

(a) “Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals” - saving of ₹1739.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2765.00 lakhs) was due to slow progress on capital works, non-execution of work by Central Public Works Department and less procurement of equipments.

(b) “Hospitals and Dispensaries” –

(i) “Kalawati Saran Children’s Hospital, New Delhi” – saving of ₹263.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of equipments and motor vehicles.

(ii) "केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, रांची" - ₹1180.79 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iii) "अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई" - ₹168.83 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यशाला भवन को गिराने एवं पुनर्निर्माण संबंधी कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय" - ₹5500.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने और कम उपस्करों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी"-

(क) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल" - ₹2139.14 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पतालों-व-शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन" - ₹4902.71 लाख की बचत (₹65000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी गति होने और कम वाहनों/उपस्करों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुईं।

(गा) "लोक स्वास्थ्य" - "अन्य कार्यक्रम - राष्ट्रीय खेलकूद संबंधी चोट कार्यक्रम" - ₹1057.19 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों/वाहनों की अधिप्राप्ति की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ii) "Central Institute of Psychiatry Ranchi"- saving of ₹1180.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of equipments.

(iii) "All Indian Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai"- saving of ₹168.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to slow progress of demolition and reconstruction work of workshop building.

(c) "Other Expenditure – Expenditure to be incurred on Institutions of Higher Learning as per Oversight Committee" – saving of ₹5500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to slow pace of capital works and procurement of less equipments.

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt.S.K.Hospital" – saving of ₹2139.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs);

(b) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" - saving of ₹4902.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹65000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of capital works and procurement of less vehicles/equipments.

(C) "Public Health" - "Other Programmes – National Programme for Sports Injury" – saving of ₹1057.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to slow progress of works/procurement of vehicles.

(III) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - अन्य भवन" के अंतर्गत बचतें बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹140.22 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल" - ₹452.35 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(गा) "एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पतालों-व-शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन" - ₹1867.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने वाला व्यय" - ₹1825.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹475.11 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹119.58 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत और 41 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1844.10 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2010 और नवंबर, 2010 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - saving of ₹ 140.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 200.00 lakhs); and

(B) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" – saving of ₹452.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress in capital works.

(C) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals" – saving of ₹1867.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(D) "Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee" – saving of ₹1825.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs); and

(E) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – saving of ₹475.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow progress of implementation of the schemes.

(IV) Under two heads savings of ₹119.58 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 37 percent and 41 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹1844.10 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in August, 2010 and November, 2010 under Major Head "4210" – under the following heads:-

(I) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं” -

(का) “चिकित्सा भंडार संगठन - जीएमएसडी में कोल्ड चेन सुविधाएं” - ₹1008.00 लाख।

(खा) “अस्पताल और औषधालय - डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली” - ₹436.10 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹373.54 लाख था।

(II) “लोक स्वास्थ्य - अन्य कार्यक्रम - केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली” - ₹400.00 लाख।

(I) “Urban Health Services” –

(A) “Medical Store Organisation (MIN) – Cold Chain Facilities in GMSDs” – ₹1008.00 lakhs.

(B) “Hospitals and Dispensaries - Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi” - ₹436.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹373.54 lakhs.

(II) “Public Health - Other Programmes - Central Research Institute, Kasauli” – ₹400.00 lakhs.